



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
INCOME TAX DEPARTMENT



JA500722846IN

To,
BASUKINATH SHIV MANDIR NYAS SAMITY
- BASUKINATH TEMPLE , BASUKINATH
DUMKA
DUMKA 814101 , Jharkhand
India

PAN: AACTB3742N	Assessment Year: 2019-20	Date: 18/01/2024	DIN: ITBA/AST/S/85/2023-24/1059851094(1)
---------------------------	------------------------------------	----------------------------	--

Dear Taxpayer,

Subject : No response to Notice u/s 142(1): PAN: AACTB3742N AY: 2019-20
Assessment proceedings u/s 144B of the Income Tax Act, 1961

Faceless assessment proceedings are ongoing in your case. However, records show that you have not responded to the notice(s) under Section 142(1), served in your registered account on the e-filing portal (www.incometax.gov.in).

2. You are advised to submit your response immediately by logging in to your registered account on the e-filing portal and through the 'e-proceeding' tab.
3. It may please be noted that failure to comply with the notice under section 142(1) will result in ex-parte assessment order and other penal consequences.
4. In case of any technical difficulty in submitting response to the notice through e- filing portal, please contact e-filing helpdesk (details at www.incometax.gov.in) or mail to efilingwebmanager@incometax.gov.in

This is an electronic communication from NaFAC which need not be digitally signed for authentication.

अनुत्तरदायी निर्धारितियों के लिए केंद्रीकृत संप्रेषण

विषय: धारा 142(1) के तहत नोटिस का कोई उत्तर नहीं: पैन(PAN): **AACTB3742N** निर्धारण वर्ष: **2019-20**
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 144बी के तहत निर्धारण कार्यवाही

प्रिय करदाता,

आपके मामले में फेसलेस निर्धारण की कार्यवाही जारी है। यद्यपि, रिकॉर्ड यह दर्शाता है कि ई-फाइलिंग पोर्टल (www.incometax.gov.in) पर आपके पंजीकृत खाते के माध्यम से धारा 142(1) के तहत तामील की गई नोटिस का आपने जवाब नहीं दिया है।

2. आपको सलाह दी जाती है कि ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने पंजीकृत खाते में लॉग-इन करके और 'ई-कार्यवाही' टैब के माध्यम से तुरंत अपना जवाब/उत्तर प्रस्तुत करें।
3. कृपया ध्यान रखें कि धारा 142(1) के तहत नोटिस के अनुपालन में विफलता के परिणामस्वरूप एकपक्षीय निर्धारण आदेश और अन्य दंडात्मक परिणाम होंगे।
4. ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने में किसी भी तकनीकी कठिनाई के मामले में, कृपया ई-फाइलिंग हेल्पडेस्क से (www.incometax.gov.in पर) संपर्क करें या efilingwebmanager@incometax.gov.in पर मेल करें।

यह NaFAC का एक इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण है जिसके प्रमाणीकरण के लिए डिजिटल हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।